न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, शिव

(पीठासीन अधिकारी श्री भवानीसिंह, RAS)

राजस्व आवेदन संख्या 100/2020 — अन्तर्गत धारा 131, 136 RLR Act

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
सायरकंवर पत्नी मासींगदान जाति चारण, निवासी रावत का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर		1. राजकंवर पत्नी उगमसिंह जाति राजपुत, निवासी हाथीसिंह का गांव तहसील शिव, जिला बाड़मेर 2. राज0 राज्य जरिये तहसीलदार शिव

उपस्थित :– 1. अधिवक्ता प्रार्थीनी :– श्री देवीलाल कुमावत।
2. अधिवक्ता विप्रार्थीनी संख्या 1 :– श्री ईश्वरसिंह भाटी।

–:: आदेश ::–

दिनांक : 11.09.2024

प्रार्थीनी के आवेदन पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि प्रार्थीनी की खातेदारी एवं कब्जा काश्त का खेत मौजा रावत का गांव, तहसील शिव के खसरा नम्बर 129/76 रकबा 06.00 बीघा अर्थात 0.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है। उक्त विवादित आराजी के सेढासेढ ही विप्रार्थीनी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 214/129 रकबा 06.00 बीघा अर्थात 0.9712 हैक्टेयर का आया हुआ है। प्रार्थीनी व विप्रार्थीनी संख्या 1 की खातेदारी के उक्त खेत मूल खसरा नम्बर 129/76 के विभक्त खसरा नम्बर है। प्रार्थीनी उक्त खेत पूर्व खातेदार पार्वतीदेवी पत्नी राणसिंह निवासी कोटड़ा से क्रय कर मौके पर काबिज हुई है। उक्त भूमि में वक्त क्रय से प्रार्थीनी अपने कब्जा काश्त में काबिज काश्त है। उक्त भूमि का राजस्व रेकर्ड में हल्का पटवारी द्वारा अमलदरामद करते समय विप्रार्थीनी संख्या 1 का खाता पृथक करते हुए नवीन खसरा नम्बर 214/129 कायम किया गया, किन्तु लट्ठा नक्शा में तरमीम अंकित नहीं की गई। बाद में तरमीम अंकित करते समय राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा विवादित आराजी की तरमीम बिना मौका मुआयना किये तथा कब्जा काश्त की बिना जांच किये एवं बिना विक्रय पत्र देखे गलत तरमीम कर दी गई, जिसे उक्त गलत तरमीम से लट्ठा ट्रेस की तरमीम एवं मौके पर कब्जा काश्त की स्थिति में भारी भिन्नता आ गई है। उक्त गलत तरमीम से पक्षकारान् का कब्जा काश्त एवं रहवासी ढाणियां प्रभावित हो रही है, जिससे दुरस्त किया जाना आवश्यक है। वर्तमान मे जब प्रार्थीनी द्वारा अपनी खातेदारी की नकल प्राप्त की, तब ज्ञान हुआ कि उसकी खातेदारी की मौके पर कब्जा काश्त एवं लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम में भारी भिन्नता है। अतः प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित आराजी के राजस्व रेकर्ड के लट्ठा ट्रेस में की गई त्रूटिपूर्ण तरमीम को निरस्त करवाते हुए वर्तमान में मौके पर पक्षकारान् के माफिक कब्जा काश्त एवं विक्रय पत्र के संलग्न नजरी नक्शा अनुसार तरमीम दुरस्त करवाने हेतु यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्रार्थीगण की जरिये नोटिस तामिली करवाई गई। विप्रार्थीनी संख्या 1 की ओर से जवाब पेश किया गया। तहसीलदार शिव से वर्तमान मौका स्थिति के संबंध में तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट तलब की जाकर प्राप्त की गई। तहसीलदार शिव से प्राप्त मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित पक्षकारान् एवं मौतबिरान के रूबरू जांच की गई, जिसमें मौके पर विद्यमान कब्जा काश्त अनुसार एवं वर्तमान लट्ठा नक्शा में अंकित तरमीम में भिन्नता है। मौके पर कब्जा काश्त अनुसार वर्तमान तरमीम नहीं होने से मौका फर्द के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती प्रस्तावित की गई, जिसे उभयपक्ष प्रभावित खातेदारान् द्वारा सहमति प्रदान की गई है।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थीनी अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में आवेदन के तथ्यों को दोहराते हुए विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा मे विद्यमान तरमीम को निरस्त किया जाकर तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती का आदेश किये जाने का निवेदन किया गया। विप्रार्थीनी संख्या 1 के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थीनी अधिवक्ता की बहस के तथ्यों की ताईद करते हुए तहसीलदा मौका रिपोर्ट के साथ पेश नक्शा परिशिष्ट'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने बाबत् सहमति प्रदान की गई।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य का अवलोकन किया। चूंकि प्रार्थीनी द्वारा विवादित आराजी के लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम को निरस्त कर वास्तविक मौका स्थिति व कब्जा काश्त अनुसार तरमीम दुरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती पक्षकारान् के मौके पर कब्जा काश्त अनुसार होने पर उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा स्वीकार किया जाकर सहमति प्रदान की गई है। साथ ही मौका रिपोर्ट अनुसार मौके पर उपस्थित मौतबिरान् एवं प्रभावित खातेदारान् द्वारा विवादित आराजी के खसरा नम्बर 129/76 व 214/129 की वर्तमान तरमीम निरस्त कर मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्ती बाबत् सहमति प्रदान की गई है। अतः उक्त स्थिति में प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी की तरमीम तद्नुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार दुरस्त किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम रावत का गांव, तहसील शिव में प्रार्थीनी की खातेदारी खसरा नम्बर 129/76 रकबा 0.9712 हैक्टेयर तथा विप्रार्थीनी संख्या 1 की खातेदारी खसरा नम्बर 214/129 रकबा 0.9712 हैक्टेयर भूमि की लट्ठा नक्शा में विद्यमान तरमीम निरस्त करते हुए तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' अनुसार तरमीम दुरस्त करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार शिव को तद्नुसार तरमीम दुरस्ती सुनिश्चित करने हेतु आदेशित किया जाता है। तहसीलदार शिव से प्राप्त तथ्यात्मक मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा परिशिष्ट 'ब' इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा।

उपखण्ड अधिकारी, शिव
सत्यमेव जयते
जिला-बाड़मेर

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

आदेश आज दिनांक 11.09.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
शिव (बाड़मेर)

Scanned with OKEN Scanner